कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Phone/ Fax: 0135-2767611
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com

संख्याः– / FP/UK/ROAD/40054/2019 देहरादूनः दिनांकः 21 सितम्बर, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के निर्माण हेतु 900 मीटर भूमिगत सुरंग एवं 200 मी0 पुल के निर्माण हेतु 3.68 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सीमा सड़क संगठन को हस्तान्तरण।
(Online proposal no- FP/UK/ROAD/40054/2019)

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–246 / 2014--FC दिनांक 04–07–2014 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा यह प्राविधानित है कि रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किमी0 के भीतर एवं संरक्षित क्षेत्र के बाहर हो, उनके वन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्माण की स्वीकृति नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है। राज्य सरकार को इस आदेश के अन्तर्गत दिनांक 31–12–2019 तक अधिकृत किया गया है।

उपरोक्त केन्द्र सरकार के आदेश के क्रम में उत्तराखण्ड शासन को उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु 3.68 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सीमा सडक संगठन द्वारा आनलाईन प्रेषित किया गया है। उक्त परियोजना हेतु वांछित वन भूमि रूद्रप्रयाग वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग / प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग एंव वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। यह भी प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है। कि उपरोक्त परियोजना की राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण से दूरी 26 किमी0 से अधिक है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि कृपया तदनुसार प्रस्ताव पर राज्य सरकार की Stage 1 हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय,

21/9/19

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 819 / FP/UK/ROAD/40054/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, जनपद–रूद्रप्रयाग।
5. प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
6. कमान अधिकारी, 66–सडक निर्माण इकाई, सीमा सड़क संगठन, गौचर, चमोली।

21/9/19

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकार

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के निर्माण हेतु 900 मीटर भूमिगत सुरंग एवं 200 मी0 पुल के निर्माण हेतु 3.68 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सीमा सड़क संगठन को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/40054/2019)

जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के निर्माण हेतु 900 मीटर भूमिगत सुरंग एवं 200 मी0 पुल के निर्माण हेतु 3.68 हे0 वन भूमि का सीमा सड़क संगठन को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 3.68 हे0 वन पंचायत भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–रूद्रप्रयाग / प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग एवं वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि कृपया तद्नुसार प्रस्ताव पर राज्य सरकार की Stage 1 हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

नाम व पदनामः

हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः APCCF & NODAL OFFICER (FC) UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 21 / 09 / 2019

स्थान : देहरादून